म.प्र.राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण अनुबंध/सहमति-पत्र

उक्त अनुबंध/सहमति पत्र दिनांक ....
.......(पंजीयन तिथि) से म.प्र. राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल, जिसे अनुबंध में आगे संक्षिप्त में संस्था के एवं

.... आत्मज/आत्मजा/पति ....

............................., को प्रचालक (ऑपरेटर)/समूह के नाम से उल्लेखित किया गया हैं, के मध्य स्थापित किया जाता है।

संस्था म.प्र.शासन द्वारा गठित एवं स्वतंत्र राष्ट्रीय संस्था के रूप में –

- व्यक्तिगत ऑपरेटर एवं समूह की उत्पादन प्रक्रिया (फसल, पशुपालन एवं जंगल उत्पाद),
- प्रसंस्करण एवं व्यवसायिक इकाईयों की प्रक्रिया एवं
- घरेलु बाजार बावत (domestic market) एन.पी.ओ.पी अनुरूप निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण संपादित करती हैं।

प्रचालक (ऑपरेटर)/समूह ने संस्था से संपर्क स्थापित करते हुये .... (स्कोप का नाम) बावत् आवेदन किया है एवं संस्था उक्त निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण कार्य संपादित करने हेतु सहमत है। यह अनुबंध निम्नानुसार संपादित किया जाना है :

1. अनुबंध का प्रारंभ –

उक्त अनुबंध दिनांक .... (पंजीयन तिथि) से प्रारंभ होकर स्कोप प्रमाणन की वैधता तिथि तक वैध माना जायेगा।

2. प्राधिकरण (Authorization) –

प्रचालक (ऑपरेटर)/समूह संस्था को अपने फसल उत्पादन/प्रसंस्करण इकाई/जैविक उत्पादों के व्यवसाय से संबंधित निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया संपन्न करने बावत् प्राधिकृत करता है।

3. विनियमन (Regulations) –

संस्था की निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Organic Production-NPOP) विनियमन में निर्दिष्ट दिशा निर्देशों, इसमें दिये गये जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय मानकों (NSOP)/संस्था के आंतरिक मानकों के अनुरूप संपादित की जाती हैं।

संस्था अपनी निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण व्यवस्था (System) को उक्त विनियमन (NPOP) में निर्दिष्ट दिशा निर्देशों एवं मानकों के आधार पर विकसित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

ऑपरेटर/समूह संस्था के निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण व्यवस्था/प्रक्रिया को आवेदन करने के पूर्व विस्तार से संस्था के अधिकारियों से भली भाँति समझ सकता है, एवं उससे संबंधित आवश्यक जानकारी संस्था से प्राप्त कर सकता है।

4. ऑपरेटर/समूह के कर्तव्य –

अ. विनियमन की जानकारी होना एवं इसका पालन सुनिश्चित करना :

ऑपरेटर/समूह सुनिश्चित करता है कि वह जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPOP) विनियमन पर आधारित निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया, जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय मानकों (NSOP)/संस्था के आंतरिक मानकों, संस्था की शुल्क एवं दण्डनीति के मापदण्डों से पूरी तरह अवगत

MPSOCA

है एवं यह भी सुनिश्चित करता है कि विनियमन का परिपालन उसके संपूर्ण प्रक्षेत्र/प्रसंस्करण ईकाई, जिसके लिए उसने आवेदन किया है, पर लागू होगा। <u>विनियमन उक्त अनुबंध का अभिन्न हिस्सा (integral part) है</u>।

ब. निरीक्षण सम्पन्न कराना :

i) ऑपरेटर/समूह निर्धारित तिथि में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि, जिसे संपूर्ण प्रक्षेत्र के क्रियाकलापों का पूर्ण ज्ञान हो, की उपस्थिति में संस्था के जैविक निरीक्षण को NPOP अनुरूप प्रक्षेत्र/प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण संपादित करने देगा। इस निरीक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान वह मौके पर उपस्थित रहकर जैविक निरीक्षक द्वारा पूछे गये समस्त प्रश्नों का शालीनतापूर्वक यथोचित उत्तर देगा, गतिविधियों से संबंधित जानकारी/अभिलेख सुव्यवस्थित रखेगा एवं उन्हे निरीक्षक को दर्शायेगा, आवश्यकता पड़ने पर जानकारी/अभिलेखों की छायाप्रति उपलब्ध करायेगा तथा संपूर्ण प्रक्षेत्र जैसे-खेत, भवन, कुआं, ट्यूबवैल, भण्डार गृह, उपकरण, मशीनरी इत्यादि का अवलोकन करायेगा। निरीक्षण बावत् उक्त समस्त बिन्दु अजैविक क्षेत्र (Conventional Area) के संदर्भ में भी लागू होंगे।

ii) ऑपरेटर/समूह उक्त निरीक्षण (उपरोक्तानुसार) आवश्यकता पड़ने पर संस्था के अन्य अधिकारियों एवं संस्था की अधिमान्यता से संबंधित पदाधिकारियों (Authorities) को भी करने देगा।

iii) ऑपरेटर/समूह निरीक्षण के दौरान यदि आवश्कता पड़ती है तो परीक्षण बावत मिट्टी, पानी, पौधे, फसल, अंतिम रूप से तैयार उत्पाद इत्यादि में से आवश्यकतानुसार नमूना निर्धारित विधि द्वारा जैविक निरीक्षक को लेने देगा।

iv) ऑपरेटर/समूह निरीक्षण के दौरान निरीक्षण से संबंधित समस्त आवश्यक सुविधायें जैविक निरीक्षक को उपलब्ध करायेगा एवं निरीक्षण के दौरान तथा बाद में भी प्रक्षेत्र/प्रसंस्करण इकाई के भ्रमणों में (यदि आवश्यकता पड़ती है तो) पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

v) ऑपरेटर/समूह उपरोक्तानुसार संस्था एवं अधिमान्यता से संबंधित पदाधिकारियों को प्रक्षेत्र का अघोषित निरीक्षण* आवश्यकतानुरूप संपन्न करने देगा।

vi) ऑपरेटर/समूह द्वारा उत्पादन के दौरान यदि निषिद्ध सामग्री/आदान का प्रयोग हो जाता है तो वह शीघ्र ही संस्था को लिखित रूप से अवगत् करायेगा।

vii) ऑपरेटर/समूह अपने वार्षिक प्लान, क्षेत्र में यदि किसी भी तरह का बदलाव करता हैं तो इसकी पूर्व सूचना लिखित में संस्था को देते हुये यथानुसार अनुमति प्राप्त करेगा।

viii) ऑपरेटर/समूह संस्था द्वारा प्रदत्त जानकारी का दुरूपयोग नहीं करेगा एवं इसकी गोपनीयता (Confidentiality) सुनिश्चित करेगा।

ix) ऑपरेटर/समूह द्वारा जैविक प्रमाणीकरण वापस (withdraw) लेने की दशा मे उसे जैविक प्रमाणीकरण संस्था को सूचित करते हुये स्कोप प्रमाण-पत्र संस्था को समर्पित (surrender) करना होगा।

5. <u>निरीक्षण शुल्क</u> –

संस्था द्वारा निर्धारित निरीक्षण शुल्क इसमें लगने वाले समय एवं शुल्क के मापदण्ड/पैमाने (परिशिष्ट-1) के उपर आधारित हैं। परिशिष्ट में दर्शाये बिन्दुओं पर आधारित कोटेशन अनुसार शुल्क का भुगतान ऑपरेटर/समूह को एकजाई रूप से करना होगा।

विशेष परिस्थितियों में यदि निर्धारित निरीक्षणों से अधिक निरीक्षण करने पड़ते है तो ऑपरेटर अतिरिक्त निरीक्षणों में लगने वाले अतिरिक्त शुल्क के भुगतान बावत् नैतिक रूप से उत्तरदायी (Accountable) होगा। मुख्यतः उक्त विशेष परिस्थितियाँ निम्नानुसार हो सकती हैं :

- ऑपरेटर के द्वारा विनियमनों का उल्लंघन करने पर असामान्य रूप से संपन्न किये जाने वाले संभावित निरीक्षण बावत्,

* ऑपरेटर को बिना बतलाये कभी भी किये जाने बाले निरीक्षण।

MPSOCA

- विश्वसनीयता की जाँच बावत्,
- अघोषित निरीक्षण बावत्,
- अवशेष विश्लेषण (Residure Analysis) हेतु अतिरिक्त नमूना लेने बावत् आदि।

निरीक्षण को संपन्न करने में आवश्यक कुछ दस्तावेज यदि उपलब्ध नहीं हो पाते है, तो संस्था यथानुसार उन्हें उपलब्ध कराने में लगने वाली राशि को अतिरिक्त शुल्क के रूप में लागू करके प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

निरीक्षण शुल्क के मापदण्ड उक्त अनुबंध का अभिन्न हिस्सा है, जिसे यथानुसार परिस्थितिवश संशोधित करने का संस्था को पूर्ण अधिकार है।

6. जानकारी की सुरक्षा –

प्रक्षेत्र, प्रसंस्करण इकाई, विवरण एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (ICS**) से संबंधित समस्त अभिलेख गोपनीय (Confidential) माने जायेंगे, एवं इनका प्रयोग इस तरह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रमाणीकरण कार्यक्रम की गोपनीयता भंग न हो। उक्त गैरप्रकटीकरण (Non-disclousure) प्रमाणीकरण कार्यक्रम/अधिमान्यता से संबंधित पदाधिकारियों के लिए लागू नहीं होगा। यदि ऑपरेटर को प्रमाणीकरण प्रक्रिया से हटाया (Revocate) जाता है, तो यह सूचना जनसाधारण को भी दी जा सकेगी।

7. अनुबंध का उल्लंघन –

उक्त अनुबंध का या NPOP विनियमन का उल्लंघन करने पर संस्था उक्त अनुबंध में निरीक्षण शुल्क के माप दण्डों (परिशिष्ट–1) में दर्शाई परिस्थितियों एवं दण्ड नीति के माप दण्डों (परिशिष्ट–2) में अंतर्गत दर्शायी परिस्थितियों अनुसार दण्डित कर सकती है। दण्ड का पैमाना (Scale of Sanction) इस अनुबंध का अभिन्न हिस्सा है एवं दण्ड के प्रावधानों को परिस्थिति अनुसार संशोधित करने का संस्था को पूर्ण अधिकार सुरक्षित हैं। यदि इस तरह का कोई संशोधन होता है तो ऑपरेटर को एक माह पूर्व अवगत कराया जायेगा। विनियमन के उल्लंघन से यदि संस्था को कोई आंशिक क्षति पहुँचती है तो उसकी भरपाई करने बावत ऑपरेटर/समूह नैतिक रूप से उत्तरदायी (Accountable) होगा।

8. अनुबंध की अवधि –

उक्त अनुबंध के बिन्दु क्रमांक–1 के अनुसार अनुबंध की अवधि पंजीयन तिथि से स्कोप प्रमाण पत्र की वैधता तिथि तक वैध (Vaild) रहेंगी।

9. संशोधन –

इस अनुबंध से संबंधित समस्त संशोधन (amendment) लिखित रूप में किये जायेंगे।

10. निर्दिष्ट दस्तावेज –

निम्नलिखित दस्तावेज इस अनुबंध के अभिन्न हिस्से (Inttegral parts) के रूप में संलग्न किये जाते हैं :–

- संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क के माप दण्ड (Scale) (परिशिष्ट–1)
- संस्था द्वारा निर्धारित दण्ड (Sanction) के माप दण्ड (Scale) (परिशिष्ट–2)
- विनियमन/जैविक प्रमाणीकरण बावत मार्गदर्शिका संस्था के आंतरिक मानकों (NPOP पर आधारित) सहित । (परिशिष्ट–3)

11. प्रमाणीकरण शर्त (Condition) –

ऑपरेटर को स्कोप विशेष से संबंधित प्रमाणीकरण संस्था को 'एपीडा' द्वारा NPOP के अनुरूप अधिमान्यता मिलने के पश्चात ही दिया जाता हैं।

** यह गुणवत्ता सुनिश्चित करने की एक दस्तावेजीकृत प्रणाली (System) है जो जैविक प्रमाणीकरण संस्था को समूह के प्रत्येक सदस्य का वार्षिक निरीक्षण आंतरिक तौर पर करने देने का अधिकार सौंपती है। उक्त आंतरिक निरीक्षकों द्वारा किये जाते है।

MPSOCA

12. **विवाद** –

संस्था इस अनुबंध के बाहर अथवा शर्तो से उत्पन्न किसी भी विवाद का अपने ऑपरेटिंग मेन्युअल में निर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार हल करेगी।

13. **न्यायालय क्षेत्राधिकार (Court juridiction)** –

उक्त अनुबंध से प्रारंभ बाहर/अलावा उत्पन्न होने वाली किसी भी कानूनी कार्यवाही को कानूनी तौर पर भोपाल में स्थित सक्षम न्यायालय (Competent Court) में हल करने का प्रयास किया जायेगा। यह अनुबंध ....से लागू होता है।

नाम	:	नाम	:
हस्ताक्षर	:	हस्ताक्षर	:
स्थान एवं दिनांक	:	स्थान एवं दिनांक	:

गवाह का विवरण –

नाम	:	नाम	:
हस्ताक्षर	:	हस्ताक्षर	:
स्थान एवं दिनांक	:	स्थान एवं दिनांक	:

MPSOCA